सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 10 चैत्र, 1944 (श०) / 31 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग	02
(2)	कृषि विभाग	01
	कुल योग --	03

चुनावी प्रक्रिया शुरू कराना

'क'-96. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शहरी निकायों तथा नगर निगमों के मेयर एवं डिप्टी मेयर तथा नगर परिषद्/नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद एवं उप-मुख्य पार्षद का आम जनता द्वारा सीधा निर्वाचन का अध्यादेश सरकार द्वारा जनवरी, 2022 में जारी किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 19 नगर निगम एवं 89 नगर परिषदों तथा 155 में से 93 का कार्यकाल 1 वर्ष पूर्व ही पूर्ण हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कार्यकाल पूर्ण एवं नवगठित राज्य के शहरी निकायों में कबतक चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बीज उपलब्ध कराना

136. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के गुणवत्ता युक्त बीजों की पहुँच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करने एवं उनके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनिकिट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों को बीज देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलावार आच्छादन एवं उत्पादन के प्रस्तावित लक्ष्य के अनुरूप जिलों को बीज वितरण के तहत बीज मुहैया नहीं कराई जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आच्छादन एवं उत्पादन के प्रस्तावित लक्ष्य के अनुरूप जिलों को बीज देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

137. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत बुडको द्वारा राज्य के गंगा किनारे के सभी शहरों में भू-गर्भीय नाला एवं सिवरेज का काम 2017-18 से किया जा रहा है, जिसके कार्य समाप्ति की अवधि 18 महीने थी, परंतु किसी भी शहर में अभीतक भी काम पूरा नहीं हुआ है और दो-दो बार अवधि विस्तार एवं प्राक्कलन पुनरीक्षित किया जा चुका है, यदि हाँ, तो प्राक्कलन पुनरीक्षण एवं समय पर काम पूरा नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

नोट--'क'-निर्वाचन विभाग से दिनांक 24 मार्च, 2022 को सदन से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

पटना :
दिनांक 31 मार्च, 2022 (ई०) ।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०, 132(एल०ए०), 2021-22-डी०टी०पी०-550